भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1205
(30.7.2015 को उत्तर के लिए)

संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर के लिए मानदंड

1205. **श्री रामदास अठावले :**
क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावती एवं उनके पत्रों के अंतिम उत्तर भेजने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ख) क्या यह सच है कि माननीय संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर देने में काफी समय लगता है और कुछ मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक प्रतिष्ठान तो कभी-कभी उनके पत्रों का उत्तर देने में 5-6 माह से अधिक समय लेते हैं और यदि हां, तो विलम्ब के कारण क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (सीएसएमओपी) का 14वां संस्करण जिसे मई, 2015 में प्रकाशित किया गया था, के पैरा सं. 37 (vi) में यह उल्लेख किया गया है कि :-

"किसी संसद सदस्य/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त पत्रादि की पावती 15 दिन के भीतर दी जाएगी और उसके बाद अगले 15 दिन के भीतर पत्रादि का उत्तर दे दिया जाएगा।"

केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के पैरा सं. 37 (vii) में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का समुचित रिकार्ड रखने और नियमित निगरानी करने की व्यवस्था है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने समय-समय पर संसद सदस्य से प्राप्त पत्रों के संदर्भ में केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में वर्णित अनुदेशों को दोहराते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों को पत्र लिखा है तथा यह अनुरोध किया है कि अधिकारियों को इस मुद्दे के संबंध में संवेदनशील बनाया जाए तथा संसद सदस्यों के पत्रों की पावती देने तथा किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर मानीटरिंग करने हेतु एक प्रणाली स्थापित की जाए।

.....